पत्र संख्या-स्था-1-सत्यापन-पार्ट-2-2009-10/ 1088 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक:: 10 ,जून-2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर.
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0/वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

आप अवगत हैं कि वर्ष 2000-01 में विभिन्न कार्यालयों / समाधार केन्द्रों आदि में सत्यापन कार्य शीघ्रता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13-04-2000 में लिये गये निर्णय और शासनादेश दि0 23-08-2000 तथा दि0 29-09-2000 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अवर / सहायक अभियन्ताओं को इस विभाग में लिया गया था । प्रारम्भ में उक्त अभियन्तागण सेवा स्थानान्तरण के आधार पर केवल 03 वर्ष के लिए इस विभाग में तैनात किये गये थे जिनका कार्यकाल एक-एक वर्ष तक आगे बढ़ाया गया । आदेश दि0 23-01-06 के अन्तर्गत जब इन्हें इनके पैतृक विभाग में वापस किया गया तो उक्त अधिकारियों द्वारा रिट याचिका संख्या-855 (एस / एस) / 2006 योजित की गयी और उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 31-01-06 के समादर में इन्हें विभाग में पूर्ववत कार्य हेतु कार्यरत रखा गया । सम्प्रति उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दि0 28-04-2010 के अनुपालन में मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन्हें इनके पैतृक विभाग में वापस किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है और तद्नुसार मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय स्तर से आदेश प्रतीक्षित है ।

2- वैट व्यवस्था के अन्तर्गत रिटर्न्स की परिनिरीक्षा, आई0टी0सी0 समायोजन / दावों का सत्यापन, राजस्व क्षरण रोकने के लिए अपरिहार्य हो गया है । मण्डी समितियों तथा विभिन्न सरकारी / अर्ध सरकारी विभागों से सम्बन्धित प्रान्तीय / अन्तर्प्रान्तीय सम्व्यवहारों की सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं उनके त्वरित सत्यापन के साथ ही जमा किये गये राजस्व से सम्बन्धित बैंक चालान का नियमित संकलन एवं सत्यापन अत्यन्त आवश्यक है । स्टाक ट्रान्सफर तथा केन्द्रीय बिक्री एवं पारगमन घोषणा पत्रों के सत्यापन तथा प्रान्त बाहर के वसूली प्रमाण पत्रों के वसूली कार्यों के अनुश्रवण के लिए अधिकारियों को प्रान्त के बाहर भी भेजना पड़ता है जिसमें समय एवं श्रम व्यय होता है । अत: उक्त समस्त सूचना संकलन एवं सत्यापन के कार्यों के लिए विभाग में जोन / सम्भाग स्तर पर सत्यापन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना आवश्यकीय है ।

3- अत: उपर्युक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब तक अन्तिम आदेश पारित नहीं किये जाते हैं तब तक सत्यापन कार्य के लिए इस विभाग में तैनात किये गये उक्त अभियन्ताओं से उक्त सूचना संकलन / सत्यापन कार्य के सम्पादन के लिए जोन स्तर पर जोनल एडीशनल कमिश्नर के पर्यवेक्षण में सत्यापन प्रकोष्ठ स्थापित करते हुए इन्हें उक्त प्रकोष्ठ में तैनात किया जाय । इन अधिकारियों से जोन के सभी खण्डों के सूचना संकलन तथा सत्यापन के संकलित मामलों की जांच का कार्य लिया जाय । कृपया उक्त सत्यापन प्रकोष्ठ के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं सतत अनुश्रवण करने के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि सत्यापन कार्य हेतु तैनात उक्त अभियन्ताओं से सत्यापन कार्य के इतर कार्य न लिया जाय ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ ।
2- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्याया0/ सर्वोच्च न्याया0 कार्य) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।

(जी0एस0बुधियाल)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।